न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 140 / 2019

दायरा दिनांक : 09.10.2019

उनवान

1– लल्लीराम आयु 30 वर्ष पुत्र औंकारसिंह, जाति अहेडी, निवासी माधोपुर, तहसील गुना, जिला गुना (मध्य प्रदेश)

2– वीर सिंह आयु 26 वर्ष पुत्र औंकारसिंह, जाति अहेडी, निवासी माधोपुर, तहसील गुना, जिला गुना (मध्य प्रदेश)

3– सरजूबाई आयु 35 वर्ष पुत्री औंकरसिंह, जाति अहेडी, निवासी माधोपुर, तहसील गुना, जिला गुना (मध्य प्रदेश)

4– गुड्डीबाई आयु 33 वर्ष पुत्री औंकार सिंह, जाति अहेडी, निवासी माधोपुर, तहसील गुना, जिला गुना (मध्य प्रदेश)

.... अपीलांट

बनाम

1– धनराज आयु 28 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल, जाति अहेडी, निवासी बिलासगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– शांतिबाई आयु 50 वर्ष पत्नी मोहनलाल, जाति अहेडी, निवासी बिलासगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री राधा वल्लभ नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.08.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 24/2018 निर्णय दिनांक 08.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खल्दा, पटवार क्षेत्र छतरगंज, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां में जमाबंदी सम्वत 2071–2074 में खाता संख्या नया 96 पुरानी 96 आराजी खसरा नम्बर 31/4 रकबा 10 बीघा स्थित है। उक्त आराजी के मूल खातेदार जीवनलाल वल्द राजाराम, कोम अहेडी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0 है । उक्त आराजी को पत्थर डूण्ड खोदकर जीवनलाल व मृतक द्वारक्या बाई के पति औंकार सिंह ने ही काबिल काश्त बनाया था तथा उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 रकबा 5 बीघा पर मृतक द्वारक्या बाई के वारिसान जो प्रार्थीगण है, जो बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। उक्त आराजी को जो कि शांतिबाई का पति मोहनलाल पुत्र भंवरलाल निवासी बिलासगढ़ ने उक्त आराजी को हड़पने के लिये जीवनलाल की जगह फर्जी व्यक्ति के अंगूठा निशानी करवाकर फर्जी व झूठी बनावटी वसीयत करवा ली है

टंकणकर्ता
लेखा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी ए)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तथा उक्त झूठी व बनावटी वसीयत से उक्त आराजी को इंतकाल नम्बर 307 ग्राम खल्दा से स्वयं के नाम खाते दर्ज करवा ली है । वसीयतनामा फर्जी व बनावटी होने से तथा बनावटी व फर्जी वसीयत की बिना समुचित जांच किये इन्तकाल नं. 307 बिना जांच तस्दीक होने से इंतकाल नं. 307 अवैध व शून्य है तथा प्रार्थीगण इन्तकाल नं. 307 को अवैध व शून्य घोषित करवाने के अधिकारी हैं। जीवनलाल वल्द राजाराम के दो पुत्रियां द्वारक्या बाई व शांतिबाई है इनमें द्वारक्या बाई का जीवनलाल के बाद स्वर्गवास हो गया है तथा प्रार्थीगण द्वारक्याबाई के वारिसान है जिनको उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 का अधिकार है। उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 पर प्रार्थीगण का बतौर खातेदार कृषक कब्जा काश्त होने से प्रार्थीगण को हक मुखालफाना प्राप्त हो चुका है तथा फर्जी बनावटी वसीयत से इन्तकाल नं. 307 बिना जांच के तस्दीक होने से इंतकाल नं. 307 अवैध व शून्य है तथा प्रार्थीगण जीवनलाल के वारिसान होने से प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 में प्रार्थीगण स्वयं का नाम अंकन करवाकर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करने पर आमादा है तथा आराजी को रहन, बेचान करने पर आमादा है। अतः प्रार्थीगण के खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण ने जबरन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी की एवं आराजी का रहन, बेचान किया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि मूल खातेदार जीवनलाल के दो पुत्रियां द्वारक्या बाई व

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

शांतिबाई है। द्वारक्याबाई का स्वर्गवास हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस अपीलांट लल्लीराम है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की मां द्वारक्याबाई व उसके पति ने काबिल काश्त बनाया तथा वर्तमान में अपीलांट के कब्जे काश्त में है। वसीयतनामा फर्जी एवं बनावटी होने से तथा बनावटी फर्जी वसीयत की बिना समुचित जांच किये इंतकाल नं. 307 बिना जांच तस्दीक होने से इंतकाल अवैध व शून्य है तथा उक्त इंतकाल अवैध व शून्य होने से रेस्पोडेंट ने उक्त आराजी को स्वयं के नाम खाते दर्ज करवाकर कानून के सिद्धांतों की अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर किये बिना अपीलांटगण के विरूद्ध निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 रकबा 5 बीघा पर मृतक द्वारक्याबाई के वारिसान जो अपीलांट हैं, जो बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त हैं । अपीलांट का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से अपीलांटगण के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टिया उक्त बिन्दुओं पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट का नाम अंकित होने से उक्त आराजी पर रेस्पोडेंट जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा उक्त आराजी को रहन, बेचान या अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । अपीलांटगण के खिलाफ रेस्पोडेंट अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 अपास्त किया जावे तथा रेस्पोडेंट को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी हिस्सा 1/2 में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न करें, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली एवं निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार जीवनलाल था। जीवनलाल के दो पुत्रियां द्वारक्या (मृतक) व शांतिबाई अपीलांटगण द्वारक्या के वारिस है । अपीलांट की मां द्वारक्या बाई व द्वारक्याबाई के पति ने आराजी खसरा नम्बर 31/4 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम खल्दा, तहसील किशनगंज को काबिल काश्त बनाया है तथा वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय में भैरू लाल पुत्र श्री हीरालाल आयु 70 वर्ष पुत्र, जाति अहेडी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, सरवन पुत्र श्री मन्नालाल, आयु 85 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, प्रेमलाल पुत्र श्री मन्नालाल, आयु 75 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, गोपाल पुत्र रामलाल, आयु 78 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज व रामनारायण पुत्र श्री रतनलाल आयु 70 वर्ष जाति धाकड, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज ने शपथ पत्र में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी को जीवन लाल व मृतक द्वारकाबाई के पति औंकार ने ही काबिज काश्त बनाया है और बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त हैं तथा अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि शांतिबाई का पति मोहनलाल निवासी बिलासगढ़ ने उक्त आराजी को हडपने की नियत से जीवनलाल की जगह फर्जी वसीयत से अंगूठा निशानी फर्जी रूप से करवाकर फर्जी व झूठी, बनावटी वसीयत करवा ली तथा वादग्रस्त आराजी को स्वयं के खाते दर्ज करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण में इस आशय की अस्थायी

लेखनकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल,
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखे ।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह चौहान
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा